रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2013/ वैशाख 12, 1935
No. 122] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2013/VAISAKHA 12, 1935

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2013

सं. 18-12/2013 सिद्ध (सिलेबस-यू.जी.).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित और विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) यह विनियम भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन
विनियम, 2013 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में अनुसूची II हेतु निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनुसूची II"
(विनियम 6 देखें)
सिद्ध मरूथुवा अरिग्नर पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम मानक

1. **सिद्ध शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्यः** सिद्ध शिक्षा का उद्देश्य सिद्ध के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान व व्यावहारिक प्रशिक्षण से संयुक्त गहरी मौलिकता से संपन्न उद्भट विद्वता के स्नातकों को तैयार करना होना चाहिए जो सिद्ध पद्धति के समर्थ और दक्ष शिक्षक, अनुसंधानकर्ता छात्र, चिकित्सक और शल्य चिकित्सक हो सकेंगे। इससे वे देश की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करने के लिए पूर्णतः सक्षम होंगे।

2. **प्रवेश हेतु पात्रताः-**

(क) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव-विज्ञान विषयों में पचास प्रतिशत पूर्ण योग के अंकों के साथ विज्ञान विषय से विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त 12 वीं दर्जा अथवा कोई अन्य समकक्ष परीक्षा।

(ख) बशर्ते कि विदेशी छात्रों हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष परीक्षा की स्वीकृति दी जाएगी।

(ग) छात्रों को 10वीं कक्षा में या उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में तमिल एक विषय के रूप में उत्तीर्ण करना होगा।

(घ) जो अभ्यर्थी ऊपर के खंड (ख) में नहीं आते उन्हें प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में तमिल का अध्ययन करना पड़ेगा।

3. **पाठ्यक्रम की अवधिः** पाठ्यक्रम की अवधि पांच वर्ष तथा छः माह होगी जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः-

क. प्रथम व्यवसायिक -	12 माह
ख. द्वितीय व्यावसायिक -	12 माह
ग. तृतीय व्यावसायिक -	12 माह
घ. अंतिम व्यावसायिक -	18 माह
ड. अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश -	12 माह

4. **प्रदान की जाने वाली उपाधिः** अभ्यर्थी को सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा निर्धारित अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात् तथा तत्पश्चात् 12 माह की अवधि के अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के पश्चात् बेचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एण्ड सर्जरी--बी.एस.एम.एस. (सिद्ध मरूथुवा अरिग्नर) उपाधि प्रदान की जायेगी।

5. **शिक्षा का माध्यमः** पाठ्यक्रम हेतु शिक्षा का माध्यम तमिल अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी होगी।

6. **परीक्षा की योजनाः** (1) (क) प्रथम व्यावसायिक सत्र साधारणतया जुलाई में प्रारम्भ होगा तथा प्रथम व्यावसायिक परीक्षा प्रथम व्यावसायिक सत्र के एक शैक्षणिक वर्ष के अन्त में होगी;

(ख) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी :-

i. सिद्ध मरूथुवा अदीप्पदाई थथुवंगलम वारालारूम (सिद्ध चिकित्सा का इतिहास तथा मूलभूत सिद्धान्त);

ii. तमिल भाषा अथवा अभिव्यक्तिशील अंग्रेजी (जहां कहीं लागू हो);

iii. उईर वेधियल (बॉयो केमिस्ट्री);

iv. मरूथुवा थावरा इयाल (मेडीसिनल बॉटनी एण्ड फार्माकोग्नोसी); तथा

v. नुन्नुयिरियल (माइक्रो बायोलॉजी);

(ग) दो विषयों से अनाधिक में अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय व्यावसायिक सत्र हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा, तथापि जब तक वह प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है, तब तक उसे द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. द्वितीय व्यावसायिक परीक्षाः-

क. द्वितीय व्यावसायिक सत्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा तथा द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया द्वितीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

ख. द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगीः-

i. उदल कोरूगल (ऐनॉटमी) प्रश्न पत्र I;

ii. उदल कोरूगल (ऐनॉटमी) प्रश्न पत्र II;

iii. उदल थथुवम (फीजियोलॉजी) प्रश्न पत्र I;

iv. उदल थथुवम (फीजियोलॉजी) प्रश्न पत्र II;

v. गुणपादम - प्रश्न पत्र I (मूली गई) (मेटीरिया मेडिका-प्लांट किंगडम); एवं

vi. गुणपादम-प्रश्न पत्र II (मेटीरिया मेडिका-थथु एवं विलंगिनम) (मेटल्स, मिनरल्स एण्ड एनमल किंगडम);

ग. दो विषयों से अनाधिक में अनुत्तीर्ण छात्र तृतीय व्यावसायिक सत्र हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा, तथापि जब तक वह द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है, तब तक उसे तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. (क) तृतीय व्यावसायिक सत्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा। तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया तृतीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई/जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगीः-

i. नोई नाडल- प्रश्न पत्र I (सिद्ध पैथोलॉजी) ;

ii. नोई नाडल- प्रश्न पत्र II (प्रिसिंपल्स ऑफ माडर्न पैथोलॉजी);

iii. नोई अनुगविधि ओझुक्कम (हाईजीन एण्ड कम्युनिटी मेडिसिन इन्क्लूडिंग नेशनल हेल्थ पोलिसीज एण्ड स्टेटिसटिक्स);

iv. सत्तम सारन्थ मरूथुवमम नन्जु मरूथुवमम (फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टोक्सीक्लॉजी); एवं
v. रिसर्च मेथोडोलॉजी एण्ड मेडिकल-स्टेटिसटिक्स ;

(ग) दो विषयों से अनाधिक में अनुत्तीर्ण छात्र अंतिम व्यावसायिक सत्र हेतु शर्त रखने का पात्र होगा, तथापि जब तक वह तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है, तब तक उसे अंतिम व्यावसायिक सत्र हेतु उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. (क) अंतिम व्यावसायिक सत्र एक वर्ष तथा छः माह की अवधि का होगा तथा तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा। अंतिम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया अंतिम व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष तथा छः माह के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) अंतिम व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगीः-

i. मरूथुवम (मेडिसिन);
ii. वर्मम, पुरमरूथुवम तथा सिर्रप्पुमरूथुवम (वर्ममथैरेपी, एक्सटर्नल थैरेपी एण्ड स्पेशल मेडीसिन);
iii. अरूवई, थोल मरूथुवम (सर्जरी इन्क्लूडिंग डेन्टिसट्री एण्ड डर्मेटोलॉजी);
iv. सूल, मगलिर मरूथुवम (आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनेकोलॉजी); एवं
v. कुजनथई मरूथुवम (पीडिएट्रिक्स)

7. अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेशः (1) अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष की होगी तथा प्रथम से अंतिम व्यावसायिक परीक्षा तक के समस्त विषय उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्र अनिवार्य विशिखानुप्रवेश कार्य क्रम में भाग लेने हेतु पात्र होगा।

(2) विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम तथा समय का विभाजन निम्नवत् होगाः-

(क) प्रशिक्षुओं को एक अभिविन्यास कार्यशाला जिसे विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के प्रारम्भ के प्रथम तीन दिवसों के दौरान आयोजित किया जायेगा, में नियमों एवं विनियमों सहित विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के ब्यौरे से सम्बन्धित एक अभिविन्यास दिया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षु को एक कार्य-पुस्तिका दी जायेगी जिसमें प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण के दौरान उन गतिविधियों के तिथिवार ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा जिनका उत्तरदायित्व वह लेगा।

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षु विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्ड/परिषद् में अपना नाम अस्थाई रूप से पंजीकृत कराएगा तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

(ग) प्रशिक्षु का दैनिक कार्य-समय 8 घंटे से कम का नही होगा।

(घ) सामान्यतः एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम महाविद्यालय से संलग्न सिद्ध अस्पताल में छः माह के नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामीण अस्पताल/जिला अस्पताल/सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में छः माह के नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण में विभक्त किया जायेगा। जहां आधुनिक चिकित्सा के अस्पताल अथवा औषधालय में सिद्ध के स्नातक के अनुमति हेतु राज्य सरकार का प्रावधान अथवा अनुमति नहीं है, वहां सिद्ध महाविद्यालय के अस्पताल में एक वर्ष का विशिखानुप्रवेश पूर्ण किया जायेगा।

3. महाविद्यालय से संलग्न सिद्ध अस्पताल में यथास्थिति छः/बारह माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् संचालित किया जायेगाः-

क्रम संख्या	विभाग	छः माह का विभाजन	बारह माह का विभाजन
i.	मरूथुवम	45 दिन	3 माह
ii.	वर्मम, पुरमरूथुवम तथा सिराप्पुमरूथुवम	45 दिन	3 माह
iii.	अरूवेई, थोल मरूथुवम	1 माह	2 माह
iv.	सूल, मगलिर मरूथुवम	1 माह	2 माह
v.	कुनथई मरूथुवम	15 दिन	1 माह
vi.	अवसारा मरूथुवम	15 दिन	1 माह

4. प्रशिक्षुओं को छः माह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को अवगत एवं परिचित कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जायेगा तथा प्रशिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण लेने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान में सम्मिलित होना होगा-

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र;

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल;

(ग) आधुनिक चिकित्सा का कोई मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित अस्पताल;

(घ) कोई मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित सिद्ध अस्पताल अथवा औषधालय;

बशर्ते उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित सभी संस्थाओं को ऐसे प्रशिक्षण लेने हेतु सम्बन्धित सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त होना होगा।

(5) विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देशः प्रशिक्षु को नीचे दर्शाये गये सम्बन्धित विभागों में निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना होगाः-

(क) मरूथुवम- इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि डेढ़ माह अथवा तीन माह होगी जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां होंगीः-

(i) सभी नैत्यक कार्य जैसे रूग्ण इतिवृत्त लेना, जांच, रोग निदान तथा सामान्य रोगों का प्रबन्ध।

(ii) नैत्यक चिकित्सीय नैदानिक विकृति परीक्षण कार्य जैसे हीमोग्लोबिन का आंकलन, हीमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षा, ष्ठीवन परीक्षण एवं मल परीक्षा, नीरकुरी, नेईकुरी, माला परिसोधानाई आदि। प्रयोगशाला के जांच परिणाम का प्रतिपादन तथा चिकित्सीय जांच तथा निदान करना।

(iii) नैत्यक वार्ड प्रक्रिया में प्रशिक्षण तथा रोगी के आहार तथा आदतों की देख-रेख करना तथा औषधि कार्यक्रम का सत्यापन करना।

(ख) वर्मम, पुरमरूथुवम तथा सिराप्पुमरूथुवम- इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि डेढ माह अथवा तीन माह होगी तथा प्रशिक्षु को निम्नलिखित गतिविधियों से परिचित एवं अवगत कराने हेतु प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षित किया जायेगाः-

(i) वर्मम बिन्दुओं के प्रकारों का स्थापन;

(ii) वर्मम प्रक्रिया तथा तकनीक के उपयोग के कारण हुई विभिन्न पैथोलोजिकल स्थितियों का निदान;

(iii) अन्तः तथा बाह्य चिकित्सा सहित इलाक्कुमुरैगल की प्रक्रिया

(iv) थोक्कानम पर विशेष बल देते हुए विभिन्न पुरमरूथुवम प्रक्रियाएं तथा तकनीकें

(v) अस्थिभंग तथा सन्धि-च्युति तथा उनका प्रबन्धन;
(vi) जराचिकित्सा (मूपियल)
(vii) मनोविकृति संबंधी मामलों का प्रबन्धन (उला पिराझवु नोई)
(viii) कायाकरपम (रेजुविनेशन थैरेपी तथा योगम)

(ग)- अरूवै तथा थोल मरूथुवम- इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह अथवा दो माह होगी तथा प्रशिक्षु को निम्नलिखित गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षित किया जायेगाः-

(i) सिद्ध सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन।
(ii) अवश्यंभावी शल्य आपातकाल जैसे अस्थिभंग तथा सन्धि-च्युति। सेप्टिक, एन्टीसेप्टिक तकनीक तथा जीवाणुनाशन इत्यादि का प्रयोगात्मक परीक्षण।
(iii) प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये।
(iv) संवेदनाहारी तकनीक का व्यवहारिक प्रयोग तथा संवेदनाहारी औषध का प्रयोग।
(v) विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रक्रिया, एक्स-रे का नैदानिक प्रतिपादन, आई.वी.पी., बेरियम मील, सोनोग्राफी तथा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम इत्यादि।
(vi) नेत्र, कान, नाक, कंठ तथा शरीर के अन्य भागों की तत्संबंधी उपकरणों से जांच।
(vii) शल्य प्रक्रिया तथा नैत्यक वार्ड तकनीक जैसेः-

i. तजा कटे/घाव को टांका लगाना
ii. घाव, जले, फोड़े तथा समान रोगों की मरहम-पट्टी
iii. फोड़े का चीरा
iv. रसौली का उच्छेदन
v. शिराशल्यक्रिया इत्यादि
vi. गुदा रोगों में कारानूल का अनुप्रयोग

(ix) बाह्य रोगी विभाग स्तर पर प्रक्रियाएं यथा अन्जनम, नास्यम, अत्तीविदल;
(x) सामान्य दन्त विकारों का निदान तथा प्रबन्धन; तथा
(xi) ब्लड बैंक तथा रूधिर आधान प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण

(घ) सूल, मगलिर मरूथुवम- इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह अथवा दो माह होगी तथा प्रशिक्षु को निम्नलिखित गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगाः-

i. प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएं तथा उनका उपचार; प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल
ii. सामान्य तथा असामान्य प्रसव का प्रबन्ध, तथा
iii. लघु तथा दीर्घ प्रासविक शल्य प्रक्रियाएं इत्यादि;

(ड.) कुझनथई मरूथुवम-

इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि 15 दिन अथवा एक माह होगी तथा प्रशिक्षु को निम्नलिखित गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगाः-

i. टीकाकरण योजना के साथ नवजात शिशु की देखभाल

ii. महत्वपूर्ण बाल रोग सम्बन्धी समस्याएं तथा उनका प्रबन्धन;

(च) अवासारा मरूथुवम (हताहत)- इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन अथवा एक माह होगी तथा

प्रशिक्षु को निम्नलिखित गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा :-

i. हताहत तथा अभिघात मामलों की पहचान तथा उनका प्राथमिक उपचार प्रबन्धन;
ii. ऐसे मामलों को सम्बन्धित अस्पतालों के पास भेजने की प्रक्रिया;

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ग्रामीण अस्पताल अथवा जिला अस्पताल अथवा सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षणः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्यताप्राप्त अथवा अनुमोदित अस्पताल अथवा सिद्ध अस्पताल अथवा औषधालय में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण की छः माह की अवधि के दौरान, प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होना चाहिएः-

i. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नित्यचर्या तथा उनके अभिलेख का अनुरक्षण।
ii. प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा/गैर चिकित्सा स्टॉफ की नित्यचर्या से परिचित होना चाहियें तथा इस अवधि में उन्हें स्टॉफ के साथ सदैव सम्पर्क में रहना चाहियें।
iii. उन्हें पंजिका उदाहरण स्वरूप दैनिक रोगी पंजिका, परिवार नियोजन पंजिका, शल्य पंजिका के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना चाहिए तथा विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये; तथा
iv. उन्हें सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहियें।

(7) ग्रामीण सिद्ध औषधालय अथवा अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षणः ग्रामीण सिद्ध औषधालय अथवा अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण के छः माह की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होना चाहियेः-

i. ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित रोग तथा उनका प्रबन्धन तथा
ii. ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य अनुरक्षण विधि का शिक्षण तथा विभिन्न प्रतिरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल होना।

(8) मूल्यांकन

विभिन्न विभागों में उन्हें आबंटित किये गये कार्य को पूरा करने के पश्चात् उन्हें संबंधित विभाग में उनके द्वारा किये गये सेवानिष्ठ कार्य के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा अन्ततः उसे संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करना है जिससे कि सफलतापूर्वक किये गये विशिखानुप्रवेश का समापन स्वीकृत किया जा सके।

(9) विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरणः

1. दो भिन्न विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण मात्र महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों की सहमति से होगा।
2. समान विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में मात्र दोनों महाविद्यालयों की सहमति की आवश्यकता होगी।

3. यथास्थिति संस्थान अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किये गये आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(10) परीक्षाः (क) विषय में 75% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी।

(ख) परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक विषय में सिद्धान्त में न्यूनतम 50% अंक आवश्यक होंगे तथा प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक विषय में जहां कहीं लागू हों पचास प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।

(ग) पूरक परीक्षा नियमित परीक्षा के 6 माह के भीतर होगी तथा अनुत्तीर्ण छात्र यथास्थिति इसकी पूरक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।

(घ) परीक्षा में बैठने के लिये प्रत्येक विषय में सिद्धान्त एवं प्रयोगात्मक कक्षा में छात्र की न्यूनतम 75 % उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ड.) यदि कोई छात्र किसी संज्ञानात्मक-कारण के कारण नियमित परीक्षा में बैठने में असफल हो जाता है, तो वह पूरक परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठेगा। नियमित परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति एक प्रयत्न के रूप में नहीं समझी जायेगी। ऐसे छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित छात्रों के साथ अध्ययन में भाग लेंगे तथा अध्ययन की आवश्यक अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् अगली व्यावसायिक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे।

(च) विषय में कक्षा कार्य के निर्धारण के समय निम्न तथ्यों को विचाराधीन रखा जायेगाः-

i. उपस्थिति में नियमितता
ii. आवधिक परीक्षा
iii. प्रयोगात्मक पुस्तिका

11. स्थानान्तरणः- 1. छात्र को किसी अन्य महाविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखने हेतु प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थानान्तरण लेने की अनुमति दी जायेगी। अनुत्तीर्ण छात्रों को स्थानान्तरण तथा मध्यावधि स्थानान्तरण की अनुमति नही दी जायेगी।

2. स्थानान्तरण हेतु, छात्र को दोनों महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की आपसी सहमति प्राप्त करनी होगी तथा स्थानान्तरण रिक्त सीट की सुनिश्चिति व केन्द्रीय परिषद् से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात होगा।

12. प्रश्न पत्रों की संख्या तथा सिद्धान्त/क्रियात्मक के लिये अंक

विषय का नाम	**शिक्षण के घण्टों की संख्या**			**अधिकतम अंकों का विवरण**			
	सिद्धांत	**क्रियात्मक अथवा नैदानिक**	**कुल**	**प्रश्न पत्रों की संख्या**	**सिद्धान्त**	**क्रियात्मक अथवा नैदानिक (मौखिक परीक्षा सहित)**	**कुल**
प्रथम व्यावसायिक							
1. सिद्ध मरूथुवम अदिप्पादई थाथुवंगलम वारालारूम (सिद्ध चिकित्सा का इतिहास तथा मूलभूत सिद्धांत)	150	---	150	एक	100	---	100
2. प्रवेश हेतु पात्रता से सम्बन्धित विनियम 2 के खण्ड (ख) तथा (ग) के अनुसार लागू तमिल भाषा	100	---	100	एक	100	---	100

3. अभिव्यक्तिशील अंग्रेजी	100	---	100	एक	100	---	100
4. उईर वेधियल (बॉयो केमिस्ट्री)	150	100	250	एक	100	100	200
5. मरूथुवा थावरा इयाल (मेडीसिनल बॉटनी एण्ड फार्माकोग्नोसी)	200	100	300	एक	100	100	200
6. नुन्नुयिरियल (माइक्रो बायोलॉजी)	100	100	200	एक	100	100	200
द्वितीय व्यावसायिक							
1. उदल कोरूगल- (ऐनॉटमी)	200	150	350	दो	200	200	400
2. उदल थथुवम (फीजियोलॉजी)	150	100	250	दो	200	200	400
3. गुणपादम-प्रश्नपत्र I (मूलीगई) (मेटीरिया मेडिका-प्लांट किंगडम)	200	100	300	एक	100	100	200
4. गुणपादम-प्रश्नपत्र II (थाथु एंड विलंगिनम) (मेटीरिया मेडिका-मेटल्स, मिनरल्स एण्ड एनीमल किंगडम)	200	100	300	एक	100	100	200
तृतीय व्यावसायिक							
1. नोई नाडल-प्रश्नपत्र I (सिद्ध पैथोलॉजी)	200	100	300	एक	100	100	200
2. नोई नाडल-प्रश्नपत्र II (प्रिंसीपल्स ऑफ माडर्न पैथोलॉजी)	150	100	250	एक	100	100	200
3. नोई अनुगविधि ओझुक्कम (हाईजीन एण्ड कम्युनिटी मेडीसिन इन्क्लूडिंग नेशनल हेल्थ पॉलिसीज एण्ड स्टेटिसटिक्स)	100	---	100	एक	100	---	100
4. सत्तम सारन्थ मरूथुवमम नन्जु मरूथुवम (फोरेन्सिक मेडीसिन एण्ड टोक्सीक्लॉजी	150	100	250	एक	100	100	200
5. रिसर्च मेथेडोलॉजी एण्ड मेडिकल स्टेटिसटिक्स	100	---	100	एक	100	---	100
अंतिम व्यावसायिक							
1. मरूथुवम (मेडीसिन)	150	200	350	एक	100	100	200
2. वर्मम, पुरामरूथुवम एण्ड सिराप्पुमरूथुवम (वर्मम थैरेपी, एक्सटर्नल थैरेपी एण्ड स्पेशल मेडीसिन)	150	200	350	एक	100	100	200
3. अरूवेई, थोल मरूथुवम (सर्जरी इन्वलूडिंग डेनटिस्ट्री एण्ड डर्मेटोलॉजी)	150	200	350	एक	100	100	200
4. सूल, मगलिर मरूथुवम (आब्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनेकोलॉजी)	100	175	275	एक	100	100	200
5. कुजनथई मरूथुवम (पीडिऐट्रिक्स)	100	175	275	एक	100	100	200

टिप्पणी 1: छात्रों का नैदानिक प्रशिक्षण तृतीय व्यावसायिक सत्र के प्रारम्भ से तथा इसके आगे से शुरू होगा।

टिप्पणी 2: महाविद्यालय के संलग्न अस्पताल में छात्रों का नैदानिक प्रशिक्षण तृतीय तथा अंतिम व्यावसायिक सत्र के सभी विभागों में चक्रानुक्रम में होगा।

13. स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण स्टॉफ हेतु अर्हताएं एवं अनुभवः

(I) अनिवार्य– (क) सिद्ध में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यताप्राप्त उपाधि;

(ख) सिद्ध में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। बशर्ते कि वे शिक्षक जो इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व नियुक्त हुए हैं तथा जो सम्बन्धित विषय में उच्च अर्हता के साथ सिद्ध में स्नातकीय उपाधि, जो कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त नही है, की अर्हता रखते हैं, वे भी अपने शिक्षण अनुभव के अनुसार अपने वर्तमान पद में पात्र माने जायेंगे। परंतु उनकी पदोन्नति अगले अथवा किसी अन्य ग्रेड में केवल तभी होगी जब वे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त सिद्ध में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर लें, तथा

(ग) तमिल अथवा अभिव्यक्तिशील अंग्रेजी, मेडीश्नल बॉटनी तथा फार्माकोग्नोसी, बॉयोकैमिस्ट्री, ऐनॉटमी, फीजियोलॉजी, माइक्रो-बॉयोलॉजी विषयों में सम्बन्धित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त शिक्षक नियुक्त किये जा सकेंगे।

(II) अनुभव : (क) संस्थान के प्रमुख के पद हेतु अर्हता (प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) : प्रधानाचार्यअथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक के इन पदों हेतु भी प्राध्यापक के पद हेतु निर्धारित अर्हता तथा अनुभव आवश्यक होगा।

(ख) प्राध्यापक के पद हेतुः कुल दस वर्षों का शिक्षण अनुभव आवश्यक है, जिसमें से प्रवाचक अथवा सह-आचार्य के रूप में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव होना चाहिए।

(ग) सह-आचार्य (प्रवाचक) के पद हेतुः पांच वर्ष का शिक्षण का अनुभव (प्रवाचक सह-आचार्य के रूप में माने जायेगें)

(घ) सहायक-आचार्य (व्याख्याता) के पद हेतुः पैंतालीस वर्ष से अनाधिक आयु हों, शिक्षण का कोई अनुभव अपेक्षित नहीं है तथा व्याख्याता सहायक-आचार्य के रूप में माने जायेंगे।

टिप्पणी 1: वे शिक्षक जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 की अनुसूचि II के आधार पर पात्र माने जा चुके है, वे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2013 के प्रकाशन के पश्चात् अपात्र नहीं माने जायेंगे; तथा

टिप्पणी 2: नियमित डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) धारक का अनुसंधान का अनुभव एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के समकक्ष माना जायेगा।

14. सिद्ध में परीक्षक की नियुक्तिः परीक्षकों की नियुक्ति का निर्णय सम्बन्धित विश्वविद्यालय में वर्तमान मानकों के अनुसार होगा।

शमशाद बानो, निबन्धक-सह-सचिव

[सं. विज्ञापन-III/4/असाधारण/124/13]

टिप्पणीः—अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2013 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2013

No. 18-12/2012 Siddha (Syllabus-UG).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2013.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of this publication in the Gazette.

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education In Indian Medicine) Regulations, 1986, for The Schedule II, the following schedule shall be substituted, namely: —

"SCHEDULE II"

(See regulation 6)

MINIMUM STANDARDS FOR SIDDHA MARUTHUVA ARIGNAR COURSE

1. **Aims and Objects of Siddha Education:** The Siddha education should aim at producing graduates of profound scholarship having deep basis of Siddha with scientific knowledge in accordance with fundamentals with extensive practical training who would be able and efficient teachers, research scholars, physicians and surgeons of Siddha system, fully competent to serve in the medical and health services of the country.

2. **Eligibility for admission:** (a) 12th standard with science or any other equivalent examination recognised by University or Boards with fifty per cent. aggregate marks in the subjects of Physics, Chemistry and Biology.

(b) Provided that for foreign students any other equivalent qualification to be approved by the concerned authorities will be allowed.

(c) Candidates should have passed Tamil as one of the subjects in the 10th Standard or in Higher Secondary course.

(d) Candidates who are not covered under clause (b) above, have to study Tamil as a subject during the First Professional session.

3. **Duration of course:** The duration of the course shall be five years and six months comprising:—

a.	First Professional	-	Twelve months
b.	Second Professional	-	Twelve months
c.	Third Professional	-	Twelve months
d.	Final Professional	-	Eighteen months
e.	Compulsory Rotatory Internship	-	Twelve months.

4. **Degree to be awarded:** The candidate shall be awarded Bachelor of Siddha Medicine and Surgery-B.S.M.S (Siddha Maruthuva Arignar) degree after passing all the examinations and completion of the prescribed course of study extending over the prescribed period, and

thereafter satisfactorily completing the compulsory rotatory internship extending over twelve months.

5. Medium of instruction: The medium of instruction for the course shall beTamil or Hindi or any recognised regional language or English.

6. Scheme of examination: (1) (a) The first professional session will ordinarily start in July and the first professional examination shall be at the end of one academic year of first professional session.;

(b) The first professional examination shall be held in the following subjects:-

(i) Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalarum [History and Fundamental Principles of Siddha Medicine];
(ii) Tamil Language or Communicative English (wherever applicable);
(iii) Uyir Vedhiyal (Bio-Chemistry);
(iv) Maruthuva Thavara lyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy); and
(v) Nunnuyiriyal (Micro Biology);

(c) A student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the second professional session, however he shall not be allowed to appear for second professional examination unless he passes in all the subjects of the first professional examination.

(2)(a) The second professional session shall start every year in the month of July following completion of first professional examination and the second professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of May or June every year after completion of one year of second professional session;

(b)The second professional examination shall be held in the following subjects:-

(i) Udal Koorugal (Anatomy) Paper I;
(ii) Udal Koorugal (Anatomy) Paper II;
(iii) Udal Thathuvam (Physiology) Paper I;
(iv) Udal Thathuvam (Physiology) Paper II;
(v) Gunapadam-Paper I (Mooligai) (MateriaMedica - Plant kingdom); and
(vi) Gunapaadam -Paper II (MateriaMedica –Thathu and Vilanginam) (Metals, Minerals and Animal kingdom);

(c) A student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the third professional session, however he shall not be allowed to appear for third professional examination unless he passes in all the subjects of second professional examination.

(3)(a)The third professional session shall start every year in the month of July following completion of second professional examination and the third professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of May or June every year after completion of one year of third professional session;

(b) The third professional examination shall be held in the following subjects: —

(i) Noi Naadal -Paper I (Siddha Pathology);
(ii) Noi Naadal -Paper II (Principles of Modern Pathology);
(iii) Noi Anugavidhi Ozhukkam (Hygiene and Community Medicine including National Health Policies and Statistics);
(iv) Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology); and
(v) Research Methodology and Medical-statistics;

(c) A Student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the final professional examination, however he shall not be allowed to appear for final professional examination unless he passes in all the subjects of third professional examination.

(4)(a)The final professional session shall be of one year and six months duration and shall start every year in the month of July following completion of third professional examination and the final professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of December every year after completion of one year and six months of final professional session;

(b) The final professional examination shall comprise of the following subjects: —

(i) Maruthuvam (Medicine);

(ii) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam Therapy, External Therapy and Special medicine);

(iii) Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery including dentistry and Dermatology);

(iv) Sool, MagalirMaruthuvam (Obstetrics &Gynaecology); and

(v) Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics).

7. Compulsory Rotatory Internship: (1) Duration of Compulsory Rotatory Internship shall be one year and the student shall be eligible to join the compulsory internship programme after passing all the subjects from first to the final professional examinations.

(2) Internship Programme and time distribution shall be as follows:-

(a)The interns will receive an orientation regarding programme details of internship programme along with the rules and regulations, in an orientation workshop, which will be organised during the first three days of the beginning of internship programme and a workbook will be given to each intern, in which the intern will enter date wise details of activities undertaken by him during his training;

(b)Every intern will provisionally register himself with the concerned State Board or Council and obtain a certificate to this effect before joining the internship program;

(c)Daily working hours of intern will be not less than eight hours;

(d)Normally one year internship programme will be divided into clinical training of six months in the Siddha hospital attached to the college and six months in Primary Health Centre or Community Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine. Where there is no provision or permission of the State Government for allowing the graduate of Siddha in the hospital or dispensary of modern medicine, the one year internship will be completed in the hospital of Siddha college.

(3) Clinical Training of six or twelve months, as case may be, in the Siddha hospital attached to the college will be conducted as follows: —

Sl.No.	Departments	Distribution of six months	Distribution of twelve months
(i)	Maruthuvam	45 days	3 Months
(ii)	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam	45 days	3 Months
(iii)	Aruvai, Thol Maruthuvam	1 Month	2 Months
(iv)	Sool, Magalir Maruthuvam	1 Month	2 Months
(v)	Kuzhanthai Maruthuvam	15 days	1 Month
(vi)	Avasara Maruthuvam	15 days	1 Month

(4) Six months training of interns shall be carried out with an object to orient and acquaint the intern with the National Health Programme and the intern shall undertake such training in one of the following institutes, namely: —

(a) Primary Health Centre;
(b) Community Health Centre or District Hospital;
(c) Any recognized or approved hospital of modern medicine;
(d) Any recognized or approved Siddha hospital or dispensary:

Provided that all the above institutes mentioned in clauses (a) to (d) will have to be recognised by the concerned Government for taking such training.

(5) Detailed Guidelines for internship programme: The intern shall undertake the following activities in the respective department as shown below:-

(a) Maruthuvam- Duration of internship in this department shall be one and half month or three months with following activities: —

(i) all routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases;
(ii) routine clinical pathology work such as haemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood parasites, sputum examination, stool examination, neerkuri, neikuri mala parisodhanai, interpretation of laboratory data and clinical findings, and arriving at a diagnosis;
(iii) training in routine ward procedures and supervision of patients in respect of their diet, habits and verification of medicine regime;

(b) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam- Duration of internship in this department shall be one and half month or three months and intern should be practically trained to acquaint with the following activities:-

(i) location of types of Varmam points;
(ii) diagnosis of various pathological conditions due to application of Varmam procedures and techniques;
(iii) procedures of Ilakkumuraigal with internal or external medication;
(iv) various Puramaruthuvam procedures and techniques with special emphasize on Thokkanam;
(v) fractures and dislocations and their management;
(vi) geriatric care(Moopiyal);
(vii) management of psychiatric cases (Ula Pirazhvu Noi);
(viii) kayakarpam (Rejuvenation therapy and yogam);

(c) Aruvai and Thol Maruthuvam- Duration of internship in this department shall be one month or two months and intern should be practically trained to acquaint with the following activities: —

(i) diagnosis and management of common surgical disorders according to Siddha principles;
(ii) management of certain ailments such as fractures and dislocations;
(iii) practical training of aseptic, antiseptics techniques and sterilization;
(iv) intern should be involved in pre-operative and post-operative managements;
(v) practical use of anesthetic techniques and use of anesthetic drugs;
(vi)Radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, Intra Venous Pyelogram, Barium meal, Sonography and Electro Cardio Gram;
(vii)examinations of eye, ear, nose, throat and other parts of the body with the supportive instruments;
(viii) surgical procedures and routine ward techniques such as:-
(a) suturing of fresh injuries;

(b) dressing of wounds, burns, ulcers and similar ailments;
(c) incision of abscesses;
(d) excision of cysts;
(e) venesection; and
(f) application of Kaaranool in ano-rectal diseases;

(ix) procedures like Anjanam, Nasiyam, Attaividal at Out-Patient Department level;
(x) diagnosis and management of common dental disorders; and
(xi) training in Blood Bank and transfusion procedures;

(d) Sool, Magalir Maruthuvam- Duration of internship in this department shall be one month or two months and intern should be practically trained to acquaint with the following activities: —
(i) antenatal and post-natal problems and their remedies; antenatal and post-natal care;
(ii) management of normal and abnormal labours; and
(iii) minor and major obstetric surgical procedures;

(e) Kuzhanthai maruthuvam- Duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern should be practically trained to acquaint with following activities:-
(i) care for new born child along with immunisation programme; and
(ii) important pediatric problems and their management;

(f) Avasara maruthuvam (Casualty) - Duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern should be practically trained to acquaint with the following activities:-
.
(i) identification of casualty and trauma cases and their first line management; and
(ii) procedure for referring such cases to the identified hospitals;

(6) Internship training in Primary Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine: During the six months internship training in Primary Health Centre, Community Health Centre or District Hospital or any recognized or approved hospital of Modern Medicine or Siddha Hospital or Dispensary, the interns shall-
(i) get acquainted with the routine of the Primary Health Centre and maintenance of their records;
(ii) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre and be always in contact with the staff in this period;

(iii) get familiaried with the work of maintaining the relevant register like daily patient register, family planning register, surgical register and take active participation in different Government Health Schemes or Programmes; and
(iv) participate actively in different National Health Programmes implemented by the State Government.

(7) Internship training in Rural Siddha dispensary or hospital: During the six months internship training in Rural Siddha dispensary or Hospital, interns shall-
(i) get aquatinted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management; and
(ii) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunisation programmes.

8. Assessment: After completing the assignment in various Sections, the interns have to obtain a completion certificate from the head of the Section in respect of their devoted work in the Section concerned and finally submit to the Principal or Head of the institute so that completion of successful internship can be granted.

9. Migration of internship: (1) Migration of internship will be only with the consent of the both college and University, in case the migration is between the colleges of two different Universities.

(2) In case migration is only between colleges of the same University, only the consent of both the colleges will be required.

(3)The migration will be accepted by the University on the production of the character certificate issued by institute or college and application forwarded by the college and University with a No Objection Certificate, as case may be.

10. Examination: (a) A candidate obtaining seventy-five per cent. marks in the subject shall be awarded distinction in the subject;

(b) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory and fifty per cent. in practical or clinical, wherever applicable in each subject;

(c) The supplementary examination shall be held within six months of regular examination and failed students shall be eligible to appear in its supplementary examination, as the case may be;

(d) Minimum of seventy-five per cent. attendance in each subject separately in theory and practical shall be essential for a student appearing in the examination;

(e) In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reason, he shall appear in supplementary examination as a regular students, whose non-appearance in regular examination shall not be treated as an attempt and such students after passing examination shall join the studies with regular students and appear for next professional examination after completion of the required period of study;

(f) The following facts may be taken into consideration in determining class work in the subject:-

(i) Regularity in attendance;

(ii) Periodical tests; and

(iii) Practical work.

11. Migration: (1) The students may be allowed to take the migration to continue their study in another college after passing the first professional examination, but failed students transfer and mid-term migration shall not be allowed.

(2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both colleges and Universities and it will be against the vacant seat after obtaining No Objection Certificate from the Central Council.

12. Number of papers and marks for theory and practical:

Name of the subject	Number of hours of teaching			Details of maximum marks			
	Theory	Practical or Clinical	Total	Number of papers	Theory	Practical or Clinical (including Viva Voce)	Total
First Professional							
1. Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalarum [History and Fundamental Principles of Siddha Medicine]	150	---	150	One	100	---	100
2. Tamil Language applicable as per clauses (b) and (c) of regulation 2 relating to eligibility for admission	100	---	100	One	100	---	100

3. Communicative English	100	---	100	One	100	---	100
4. Uyir Vedhiyal (Bio-Chemistry)	150	100	250	One	100	100	200
5. Maruthuva Thavara Iyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy)	200	100	300	One	100	100	200
6. Nunnuyiriyal (Micro Biology)	100	100	200	One	100	100	200
Second Professional							
1. Udal Koorugal (Anatomy)	200	150	350	Two	200	200	400
2. Udal Thathuvam (Physiology)	150	100	250	Two	200	200	400
3. Gunapadam-Paper I (Mooligai) (Materia Medica-Plant kingdom)	200	100	300	One	100	100	200
4. Gunapaadam - Paper II (Thathu and Vilanginam) (Materia Medica-Metals, Minerals and Animal kingdom).	200	100	300	One	100	100	200
Third Professional							
1. Noi Naadal - Paper I (Siddha Pathology)	200	100	300	One	100	100	200
2. Noi Naadal - Paper II (Principles of Modern Pathology)	150	100	250	One	100	100	200
3. Noi Anugavidhi Ozhukkam (Hygiene and Community Medicine including National Health Policies and Statistics).	100	---	100	One	100	---	100
4. Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology)	150	100	250	One	100	100	200
5. Research Methodology and Medical-statistics	100	--	100	One	100	---	100
Final Professional							
1. Maruthuvam (Medicine)	150	200	350	One	100	100	200
2. Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam Therapy External Therapy and Special Medicine)	150	200	350	One	100	100	200
3. Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery including dentistry and Dermatology)	150	200	350	One	100	100	200
4. Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	100	175	275	One	100	100	200
5. Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	100	175	275	One	100	100	200

Note 1:- Clinical training to the students shall start from the commencement of third professional session onward.

Note 2:- The clinical training to the students in the hospital attached with college shall be rotational within all departments of third and final professional session.

13. Qualifications and experience for teaching staff for Under-Graduate course:

(I) Essential- (a) A degree in Siddha as recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970;

(b) A Post-graduate qualification in Siddha recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. Provided that teachers who are appointed before the date of this notification with the qualification of Under-Graduate degree in Siddha with a higher qualification in the subject concerned not recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 shall also be considered eligible in their current designation as per their teaching experience, but they shall be promoted

to the next or any other grade only after obtaining Post-Graduate degree in Siddha recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970; and

(c) For the subjects of Tamil or Communicative English, Medicinal Botany and Pharmacognosy, Biochemistry, Anatomy, Physiology, Micro-Biology teachers with Post Graduate degree from a recognized University in the subject concerned can also be appointed.

(II) Experience: (a) Qualification for the Post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director): The qualification and experience prescribed for the Post of Professor shall be essential for these posts of Principal or Dean or Director also;

(b) For the post of Professor: Total teaching experience of ten years is necessary out of which there should be five years teaching experience as Reader or Associate Professor;

(c) For the post of Associate Professor (Reader): Teaching experience of five years (Reader will be treated as Associate Professor);

(d) For the post of Assistant Professor (Lecturer) with age not exceeding forty-five years, no teaching experience is required and Lecturer will be treated as Assistant Professor.

Note 1: The teacher(s) who had been considered eligible on the basis of Schedule II to the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulation, 1986 shall not be considered ineligible after publication of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulation, 2013; and

Note 2: The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder will be considered equivalent to one year teaching experience.

14. Appointment of Examiner in Siddha: The appointment of Examiners shall be decided as per the norms existing in the University concerned.

SHAMSHAD BANO, Registrar-cum-Secy.

[No. ADVT -III/4/Exty./124/13]

Note.—If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2013", the English version will be treated as final.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.